संख्या:-१०९५/XXIV(1)/2004

प्रेषक: राजेन्द्र सिंह
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन

सेवा में,
निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी,नैनीताल

उच्च शिक्षा अनुभाग — देहरादूनः दिनांक२७ दिसम्बर,2004

विषयः— राजकीय विधि महाविद्यालय,गोपेश्वर के भवन निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक—डिग्री विकास/8160/2004—05, दिनांक 25 नवम्बर,2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राजकीय विधि महाविद्यालय,गोपेश्वर के भवन निर्माण हेतु अनुमोदित आगणन रू0 134.63 लाख के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004—05 में रू0 35.00 (रूपये पैंतीस लाख मात्र) की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— स्वीकृत धनराशि को उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में व्यय नहीं किया जायेगा तथा अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति की प्रत्याशा में कोई अन्य व्यय नहीं किया जायेगा तथा समय—समय पर निर्गत वित्तीय एवं मितव्ययता संबंधी नियमों एवं दिशा—निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3— स्वीकृत धनराशि के उपभोग के संबंध में शासन द्वारा निर्गत समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा निर्माण कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से सशासन को अवगत कराया जायेगा। निर्माण कार्य के लिएअवमतुक्त की गयी धनराशि का उपभोग शीघ्रता से करने के लिए प्राचार्य द्वारा समुचित पर्यवेक्षण किया जायेगा ताकि निर्माण इकाई द्वारा विलम्ब करने की दशा में शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

4— प्रश्नगत निर्माण कार्य गुणवत्ता के अनुरूप अनुमोदित लागत के अन्दर निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जायेगा। लागत में वृद्धि किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगी।

Grant Go58

5– इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–11 के आयोजनागत पक्ष के अधीन लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेल कूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा–203–विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा–04–राजकीय महाविद्यालयों के भूमि/भवन क्रय –00–24–वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 1061/वित्त अनु0–1, दिनांक 15 दिसम्बर,2004 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

संख्या–1095(1)/XXIV(1)/2004:तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. कोषाधिकारी,नैनीताल।
3. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवायें,उत्तरांचल।
4. परियोजना प्रबन्धक, संबंधित निर्माण इकाई।
5. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निदेशक।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।
7. वित्त अनुभाग–1, उत्तरांचल शासन।
8. एन0आई0सी0,सचिवालय,देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

Grant Go60